

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली-2005 के नियम-30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म-16, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :-

क्र0 स0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/ नष्ट हुए फार्मों/ स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री साईं आटो इण्डस्ट्रीज, रूद्रपुर। टिन-05004543117	प्ररुप- XVI (07)	U.K.VAT-M 2012 0284377,0284420,1461604,1769385, 3997664, 4734254,4734263	खोने के कारण
2.	सर्वश्री फार्सॉक कैमिकल्स(इण्डिया) प्रा0लि0 रूद्रपुर। टिन-05006224903	प्ररुप- XVI (15)	U.K.VAT-M 2012 1474261,1474270,1474285,1474392,1474401, 1768105,1768132,2444482,2444492,3998221, 4732534,4736586,4736637,4973083,6876493	खोने के कारण
3.	सर्वश्री गंगेस ट्रेडर्स, रूद्रपुर। टिन-05013622608	प्ररुप- XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 5810760	खोने के कारण
4.	सर्वश्री गर्ग इलेक्ट्रिकल्स रूद्रपुर। टिन-05004625082	प्ररुप- XVI (03)	U.K.VAT-M 2012 4791277,4791296,4963557	खोने के कारण
5.	सर्वश्री शेखर सेल्स डाट पुल सिनेमा लाईन पिथौरागढ़। टिन-05010164849	प्ररुप- XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 5590462	खोने के कारण
6.	सर्वश्री यूनियर्सल इन्टर ट्रेडिंग क0 चावमंडी रूड़की। टिन-05013683717	प्ररुप- XVI (10)	U.K.VAT-M 2012 7653374 to 7653383	खोने के कारण
7.	सर्वश्री विजन मेटल एडस प्रा0लि0 डी-3 इण्डस्ट्रीयल एरिया हरिद्वार। टिन-05001975430	प्ररुप- XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 7460547	खोने के कारण

(पीयूष कुमार)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

पू0प0संख्या 4240/दिनांक उक्त।


प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- संयुक्त निदेशक, राजकीय लिथो प्रेस, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि इसे अगले गजट में प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियाँ कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड, जोगीवाला मसूरी बाईपास रोड, देहरादून को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
- 2- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रूद्रपुर जोन।
- 3- ज्वाइन्ट कमिश्नर. (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रूड़की/काशीपुर/रूद्रपुर/बाजपुर/खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त पत्र की प्रतियाँ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4- डिप्टी कमिश्नर(एस0टी0एफ0) वाणि0कर, देहरादून/हरिद्वार/रूद्रपुर एवं काशीपुर, ।
- 5- असिस्टेंट कमिश्नर सचलदल इकाई-विकासनगर, इकाई ए/बी-देहरादून, ऋषिकेश, इकाई ए/बी-हरिद्वार, रूड़की (नारसन), भगवानपुर, कौड़िया, जसपुर, इकाई ए, बी-काशीपुर, बाजपुर, इकाई ए, बी-रूद्रपुर, किच्छा, खटीमा, रामनगर, हल्द्वानी।
- 6- मौ0 शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून/web.Information officer को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु। DC-3

738
28/11/15

प्र.अ./आशुलिपिक/खातापालक
आवश्यक कार्यवाही करें

डि.कमि.(क.नि.) खण्ड-3
वाणिज्य कर, देहरादून


एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।